राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुसैन खां बनाम सलीम खां 1025/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
10/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/12/2022 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को ग्राम ताला पटवार मण्डल ताला तहसील जमवारामगढ़ में कृषि भूमि स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 135 रकबा 2.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 11.7600 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रास्ता, कब्जा को मध्यनजर रख हुये सरस-नरस के आधार पर दोनों पक्षों को सूचित कर उनकी मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/12/2022 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के अनुरूप पक्षकारान की समुचित तामील करवाये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते हुये माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही किया जाना स्पष्ट होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/12/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की समुचित तामील करवाया जाना सुनिश्चित कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसरण में विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर